

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 1/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 21 जनवरी 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 5/2016-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 01.12.2016, का.आ.3602 (अ) दिनांक 01.12.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 2 के स्तंभ सं. 5 में मौजूद प्रविष्टि को "प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-22/2016-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित**

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.
2. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद.
4. मै. स्टरलाइट टेक्नोलोजिस लिं, सर्वे नो. 68/1, रखोली विल्लेज, मधुबन डैम रोड, सिलवासा, दादर & नागर हवेली-396230